

अनुभाग में पर्याप्त संख्या में अनुवादकों की व्यवस्था कर दी गई है।

(ड) विधि मंत्रालय का मुख्य कार्य भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों को विधिक सहाय देना, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में केंद्रीय सरकार के मुकदमों की पैरवी करना और विधान का प्रारूपण है। इसलिए इन कार्यों में हिंदी के प्रयोग की अधिक गुंजाइश नहीं है।

12 hrs.

CALL ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORT- ANCE

Recent Incidents of Robbery in trains in Bihar

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलंबनीय लोक महत्व के निम्न-लिखित विषय की ओर रेल मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :

“बिहार में 487-अप मुजफ्फरपुर-मोतीहारी रेलगाड़ी, आसनसोल-रांची रेलगाड़ी और गोरखपुर यात्री गाड़ी जैसी विभिन्न रेलगाड़ियों में डाकाजनी की हाल की घटनाओं के समाचार।”

THE MINISTER OF RAILWAYS (RAIL MANTRI) (SHRI HANUMANTHAIYA) : Sir, there have been recently a few incidents of robbery in various trains in Bihar. Details of these are as under :—

- (1) On 3-4-1971, Train No. 63 Up Asansol-Ranchi-Hatia Passenger left Mohuda at 22.50 hrs. and was stopped by the use of the alarm chain between Mohuda and Jamuniatand Stations. A group of Criminals numbering about 30-35 boarded the train, entered different III class compartments, attacked the passengers with bombs and snatched away their personal

belongings on the point of pistol, knives and other deadly weapons. They also looted parcels from the luggage van of the train. The train was escorted by 2 Government Railway Police Constables equipped with lathis. One of the Govt. Railway Police Constables sustained injuries while resisting the criminals.

Railway Protection Force Dog of Kharagpur Kennel was utilised in this case on 5-4-1971, which led the Police to the houses of two accused persons. They were arrested on 6-4-1971 and on interrogation are reported to have admitted their complicity in this case. Subsequently 19 more suspects were arrested in this case. During raids conducted in the houses of accused persons, large quantities of stolen material were recovered. Besides, 3 country made pistols, 25 bombs, 15, 12 bore cartridges and some other weapons were also recovered. Five parcels were recovered from the bushes from near the place of occurrence.

Government Railway Police, Bhojudih registered a case under section 395/412 IPC in this connection and their investigation still continues.

- (2) On 14-5-1971 while Shri Brij Kishore Shrivastava S/o Shri Ram Chandra Prasad Shrivastava, of village Mirzapur Harpura, P. S. Sonepur, Distt. Chupra was travelling in a I class compartment of train No. 485 Up (Muzaffarpur-Narkatiaganj passenger train), he was attacked by 8 unknown persons equipped with pistol and daggers when the train was on run between Pipra and Jiwadhara Stations at about 22.00 hours. The miscreants snatched away his wrist watch, personal belonging and cash Rs. 51/—(in all property worth about Rs. 1,000/—) and escaped.

The complainant Shri Shrivastava reported this occurrence to the Government Railway Police/ Sugouli who registered a case under section 395 IPC. No recovery or

[Shri Hanumanthaiya]

arrest has been reported so far. Police investigation is proceeding.

- (3) On the night of 14/15-5-1971, Shri Baidya Nath Singh S/o Shri Khelawan Singh of village Ashwani P. S. Patepur, Distt. Muzaffarpur was travelling by the 455 Up passenger tram from Laheria Sarai in a 3rd class compartment. About seven unknown persons boarded the compartment at Muzaffarpur. Two of them attacked and threatened Shri Baidya Nath Singh who was sleeping on the floor of the compartment and demanded money. They took away his wrist watch valued Rs. 136/— and cash amounting Rs. 315.35 P.

The Government Railway Police/Muzaffarpur has registered this case under section 395 IPC which is under investigation with them. No arrest or recovery has been reported so far.

- (4) On 23-5-1971, Shri Bhagmal Tandan S/o Shri Sardar Sowar Singh Tandan was travelling in the 487 Up passenger train in a III class compartment. 4 unknown persons attacked him with daggers etc. at about 03.00 hours when the train was on the run between Motihari and Semra Stations and snatched his wrist watch and suitcases containing his personal belongings valued at approx. Rs. 7,000/— which included Rs. 4,300/— in cash. The miscreants pulled the alarm chain and got down near KM No. 16.9 (East) after exploding some crackers.

The complainant Shri Bhagmal Tandan lodged a complaint to officer-in-Charge, Government Railway Police Station, Sugouli, who registered a case under section 392 IPC. The Officer-in-Charge, Sugouli who went to the spot found four empty suitcases near the place of occurrence. No arrest has been reported so far. Police investigation is proceeding.

As protection of life and property of passengers travelling in trains falls within the crime duty developing on the State Government, the attention of the Chief Secretary to the Govt. of Bihar has been drawn to the increasing number of such

incidents in the area. He has been asked to take such other suitable measures as may be considered necessary to check the rising trend of these crimes in addition to the usual escorting of night passenger trains.

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस सवाल को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया और इसको सदन के सामने आने दिया। हालत यह है कि हमारी तरफ रात को कोई भी भला आदमी बाल बच्चों वाला आदमी, रात में सफर नहीं कर रहा है। इस समय गादी विवाह के दिन है। सब लोग दिन में सफर करते हैं और जहाँ रात हो जाती है वहाँ विश्राम करते हैं। यहाँ जो भी मामले बतलाये गये उनमें एक केस मंत्री जी ने छोड़ दिया। आज से साल भर पहले या उसके कुछ आगे पीछे, रेलवे कर्मचारी तनखाह बांटने के लिए रुपया लेकर जा रहे थे। मुजफ्फरपुर और चकिया के बीच में उन को मार कर सारा रुपया, वह दो लाख हो या चार लाख हो, लूट लिया गया। इसमें केस भी रजिस्टर हुआ लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। पिछले महीने दो तीन घटनाएँ हुईं। मेरी कांस्टिटुएन्सी में मोतीहारी प्रमुख स्थान हैं। उसके पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ गाड़ियाँ जाती हैं। जो वस्तुव्य मंत्री महोदय ने दिया है उसमें उन्होंने जो कुछ माना है वह तो सही है ही, लेकिन उसके अलावा अखबार में निकला है कि टाई दिखलाकर, हथियार दिखलाकर, कट्टी-मेड बम और कट्टी-मेड गन दिखला कर, और बीजे इस्तेमाल करके डाकू लोग पैसेंजरों को छूटते हैं।

रेलवे विभाग केन्द्रीय सरकार का व्यापार विभाग है। मैं जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार अपने इस व्यापार विभाग की सुरक्षा के लिये, जो यात्री चलते हैं उनकी सुरक्षा के लिए और जो लोग रात को चलते हैं उनकी सुरक्षा के लिये कौन सा उपाय मोच रही है,

क्योंकि केन्द्रीय सरकार के पास जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है वह सारी की सारी कलकत्ता बम्बई और मद्रास में ही है। वह इन जगहों पर ही रहेगी या गांव और छोटी जगहों से जो लोग रेलगाड़ी में चढ़ते हैं उन की सुरक्षा के के लिये रहेगी ?

एक बात की ओर और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो आदमी मारे जाते हैं उनके घर वालों को 100,200 या 400 रु० इमदाद के रूप में रेलवे की तरफ से दिये जाते हैं, लेकिन जिसकी सम्पत्ति लुट जाती है उस की रेलवे विभाग वाले क्या सहायता करते हैं ? आज कल गादी विवाह के दिन हैं जिनकी बहुत चली जाती हैं, जो सारा अपना गहना जेवर लेकर चलती हैं और जो लूट लिये जाते हैं जिनका रेल में चलना मुश्किल है उनके लिये रेलवे विभाग क्या कर रहा है ? अभी श्री कमल नाथ तिवारी का लड़का गया। उन्होंने उसको दस बार हिदायत की कि दिन की गाड़ी से जाना रात की गाड़ी से न जाना। उसके बाल-बच्चे भी गये हैं। ऐसी परिस्थिति हो गयी है। ऐसी हालत में यह जो सरकार का व्यापारिक विभाग है उसकी सुरक्षा के लिये सरकार क्या कर रही है ? यहां पर यह कह दिया गया कि चीफ सेक्रेट्री बिहार गवर्नमेंट को भेज दिया। चीफ सेक्रेट्री बिहार गवर्नमेंट का भ्रमण बिहार हाई कोर्ट में चल रहा है कि कौन चीफ सेक्रेट्री हो और कौन न हो। क्या उस चीफ सेक्रेट्री का ध्यान इधर हो सकता है ? उसका ध्यान तो इधर होगा कि वह मुकदमा जीतता है या हारता है।

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की जवाबदेही है। इसमें सरकार का ला एंड आर्डर महकमा कहाँ से आ गया ? ला एंड आर्डर स्टेट का सवाल है। यह स्टेट से नहीं केन्द्र से संबंधित महकमा है। केन्द्रीय सरकार उन लोगों की सुरक्षा के लिये जो पैसंजर चलते हैं क्या कर रही है। यह सरकार कैसे ही प्राटे का

बजट पेश कर रही है। लोगों की सुरक्षा के लिए थोड़ा घाटा और सही।

SHRI HANUMANTHAIYA : I share the anxiety of my hon. friend. In fact, I feel very much depressed that in a State like Bihar such dacoities should be taking place. As I stated, the legal position is that investigation and prevention of crime is within the jurisdiction of the State Government. I have had a talk with the Chief Minister and I am urging the State Government to take sufficient steps. So far as the Railway Protection Force is concerned, it is not legally empowered to deal with crimes except to protect railway property. But I am not a person who wants to make a subtle distinction between the responsibility of the State Government and the Central Government. We have to come together jointly and see that such horrible crimes are prevented and the culprits are punished. For this purpose I am planning to go to Patna next week, hold a conference with the people there, the concerned State Ministers, if there would be any at that time...

AN HON. MEMBER : And dacoits also.

SHRI HANUMANTHAIYA : My hon. friend is cutting a joke when one has to shed his tears. This is not a matter for joke, Therefore, I am proposing to hold a meeting of the concerned officers. By that time, if there is a Chief Minister, I will have a discussion with him. If not, I will discuss it with the Governor. I am also going to summon a meeting of the officers of the RPF. So long as I am here, I will ensure that every possible step is taken by both the Centre and the State in order to put down these incidents.

श्री बिभूति मिश्र : जो कांफरेंस होगी वह दस रोज बाद या बीस रोज बाद होगी। तब तक लगन के दिन चल रहे हैं। इस बीच में लोगों का चलना मुश्किल है। इसके लिये सरकार क्या कर रही है ?

SHRI HANUMANTHAIYA : I may State here that Ajoy Babu, the Chief Minister of West Bengal, is organising a resistance force consisting of the people of the adjoining villages. My hon. friend can do that in his constituency, doing his part of the duty.

श्री रामदेव सिंह (महाराज गंज) : रेलवे प्रशासन जिम्मेदार हैं कि रेल यात्री...

अध्यक्ष महोदय : आप कैसे लड़े हो गये आपका नाम यहां पर नहीं है ।... (व्यवधान)... यहां तो जाबते से काम होता है । मैं आपसे कहूँ कि कालिंग अटेंशन मोशन में सिर्फ बी मेम्बर बोलते हैं जिनके नाम बोलट होकर आते हैं । इसके लिए बार-बार क्या कहना है ?

श्री के० एन० तिवारी (बेतिया) : अभी मंत्री महोदय ने उत्तर देते हुए 23 तारख की घटना का जिक्र किया जो मोतीहारी और सेमरा के बीच में हुई थी । लेकिन उसमें एक आदमी नहीं लूटा गया है । उसके लिये लिखा है कि :

ग्राम्स डैकोइट्स लूट पैसेजर्स

जो रिपोर्ट है मोतीहारी से उसमें लिखा हुआ है कि सारा कम्पार्टमेंट लूट लिया गया है । अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको पढ़ कर सुना दूँ ।

अध्यक्ष महोदय : आप वैसे ही बतला दीजिये सारा पढ़ने के बजाय ।

श्री के० एन० तिवारी : इसमें यह लिखा है कि मोतीहारी और सेमरा के बीच में डाकू लोग थर्ड क्लास में घुस गये पैसेजर्स ट्रेन की ओर सारे पैसेजर्स को लूट लिया । उसके बाद पिस्तौल दिखावा और सिग्नल पर चेन खींच कर सारा सामान उन्होंने नीचे फेंक दिया । अभी मंत्री महोदय ने कहा कि एक आदमी लूटा गया । एक आदमी नहीं सारा कम्पार्टमेंट लूटा गया है ।

एक और दूसरी बात कही जाती है कि खाली सामान लूटा जा रहा है । बिहार की एक रिपोर्ट यह भी है कि एक ट्रेन में दो बहुत बड़ों के साथ आ रही थीं । उनको उठा कर डकैत लोग ले गये । हालत यहां तक बद-तर हो गई है कि औरतें लूटी जा रही हैं ।

और घन लूटा जा रहा है । एक ट्रेन के लिये लिखा है कि :

"ट्रेन पैसेजर्स लूटेड निश्चर छपरा"

डाकू लोग जबरदस्ती घुस गए और उन्होंने गोली चलाई । उन्होंने थर्ड क्लास के सारे पैसेजर्स को लूटा । एक आदमी की आंख फूट गई, दूसरा आदमी जल्मी हो गया और अस्पताल में पड़ा हुआ है । रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स उन गुड्ज की सेपटी के लिए जो बुक की जाती हैं । पैसेजर्स की सेपटी के लिए गुजफरपुर में आर० पी० एफ० और जी० आर० पी० है । जितनी भी डिस्टेंड लाइज हैं या एरियाज हैं, उनमें कम से कम पहले जो अरेंज-मेंट हुआ करता था कि आर्डर गाइज चलती थीं, क्या उसका इन्तजाम किया जाएगा ?

क्या मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान गया है कि बिहार के होम मिनिस्टर ने कहा है कि हम सब ट्रेज के लिए आर्डर गाइज नहीं दे सकते हैं ? मैं जानना चाहता हूँ कि अगर सभी ट्रेज के लिए नहीं दी जा सकती है तो जो डिस्टेंड लाइज हैं, वहां आर्डर गाइज का इंतजाम किया जाएगा ?

जो लोग रेलवे में इस तरह से मारे गए हैं या जिनका माल असबाब लूट लिया गया है, उनको कम्पेंसेशन देने के लिए क्या कोई इंतजाम आप कर रहे हैं ? अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं और अगर कर रहे हैं तो कब तक इसको आप इम्प्लेमेंट कर देंगे ?

पिछले तीन महीनों के अंदर बिहार में कितने लोग इस तरह से मारे गए हैं, कितनी डैकोयटीज और राबरीज आदि हुई हैं ? मैं जानना चाहता हूँ कि उस सिमसिले में कितने लोग पकड़े गए हैं, कितनों को सजा हुई है और कितने जेल में हैं ? मैं चाहता हूँ कि बिस्तारपूर्वक यह सब विवरण हमें मिले ।

SHRI HANUMANTHAIRYA : About some of the questions that he has asked, I have no information readily available, therefore, a separate question has to be

asked ; or, I am prepared to furnish all that information to him separately.

श्री के० ए० तिवारी : क्या डिपार्टमेंट प्रेस रिपोर्ट्स को भी नहीं देखता ? मंत्री महोदय कहते हैं कि भ्रम से सवाल किया जाए। शार्ट नोटिस क्वेश्चन मैंने दिया था लेकिन उसको भी एडमिट नहीं किया गया।

SHRI HANUMANTHAIYA : This has reference to two incidents in a particular area.

SHRI K. N. TIWARY : I was informed that the short notice question was not accepted by the hon. Minister and that that would be treated as a starred question.

SHRI HANUMANTHAIYA : If there is a short notice question, I will look into it. But apart from this procedure, the Railway Budget discussion is going on ; he can make these points and I will be able to make whatever reply is necessary.

MR. SPEAKER : Along with the reply that you make today ?

SHRI HANUMANTHAIYA : Yes, Sir

SHRI RAMSHEKHAR PRASAD SINGH (Chapra) : The Railway Minister, while replying to this call-attention motion, forgot to answer regarding a case which took place between Kopa Samhota and Tikniwas stations near Chapra. He also said that some information was not available. I will ask him a few general questions.

Probably, in 87 Up passenger train, which goes to Gorakhpur or comes from there, some railway protection force is provided. Why was no protection force provided on that particular date ? Is it because of the fact that no protection force was provided that that incident took place ?

Secondly, what arrangements have the railways made for meeting the grievance of such persons who are looted in the train ? Is their loss compensated ? Is there any rule in the railway ; if not, is the Railway Minister thinking of making some rule to provide relief to such persons who are looted in the train ?

Thirdly, what is the correct position of those persons who are wounded or killed in such incidents ?

SHRI HANUMANTHAIYA : I will refer to the rules on the subject and send a reply to him separately.

श्री कमल मिश्र मधुकर (केसरिया) : मंत्री महोदय ने अपने जबाब में राज्य सरकार पर सारी जिम्मेवारी डालने की कोशिश की है और इस तरह से खुद बच निकलने का रास्ता निकाल लिया है। जैसा कि तिवारी जी और विभूति मिश्र जी। कहा है कि कोई बन्ना भ्राममी, भ्राम जनता यह बरदाश्त नहीं कर सकती है कि वह लुट जाए, उसकी जान सतरे में पड़ जाए। इस कारण बहुत कम लोग सफर करते हैं। इससे रेलवे को घाटा भी हो रहा है, यह केन्द्रीय व्यवसाय घाटा उठा रहा है। लोग रेलवे में नहीं चलना चाहते। बसो आदि में चलना ज्यादा पसन्द करते हैं। मंत्री महोदय टालना चाहते हैं। वह कहते हैं कि बिहार के चीफ सँकेटरी को लिख दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उनको जानकारी है या नहीं कि पुलिस के अधिकारी, पुलिस के लोग भी इस तरह के काण्डों में सम्मिलित रहते हैं मैं जानना चाहता हूँ कि कितने ऐसे केसिज हैं जिनमें पुलिस के लोग भी किसी न किसी रूप में सम्मिलित रहे हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या उनको कोई सजा भी दी गई है या नहीं दी गई है ?

आप कहते हैं कि रेलवे केन्द्रीय व्यवसाय होते हुए भी जहाँ तक ला एण्ड गार्डर मेंटेन करने का प्रश्न है, यह जिम्मेवारी राज्य सरकार पर है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसी भी कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं जिसके जरिये इस केन्द्रीय व्यवसाय में ला एण्ड गार्डर की जिम्मेवारी राज्य सरकार पर न होकर आपके ऊपर हो।

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि आपने कौन सी ऐसी नई योजना बनाई है ताकि इस प्रकार की डकैतियों को रोकने के लिए जनता

[श्री कमल मिश्र सधुकर]

का सहयोग लिया जा सके और जन सहयोग को जाग्रत किया जा सके ?

आज हालत यह है कि रेलों में लूट होती है, चोरियां होती है, मर्डर होते है और एक्सीडेंट होते है। इस कारण लोग बसों में सफर करना ज्यादा पसन्द करते है। चोरी करवाना या बेइज्जत होना कोई पसन्द नहीं करता है। इस वास्ते जो प्रश्न मैंने किए है उनका आप स्पष्ट उत्तर दीजिये कि आप क्या करने जा रहे हैं ?

SHRI HANUMANTHAIYA : I am sorry this translation equipment is not working properly and, therefore, I have not been able to follow all the questions that my hon friend put. But I was able to follow it generally. He asked whether the police are in league with dacoits and whether they have been found out. There are allegations to the effect that so far as the Railways are concerned, whenever there is looting and thefts are committed, the police concerned, including the R. P. F., some of them, may be participating in it that is the suspicion that is being entertained and allegation made.

I am also trying to understand the intricacies of this problem. Of course, when such people are found, certainly, they will be punished. The question is how difficult it is to find such people and track them. But that will be done.

So far as Bihar situation is concerned, the gravity of the situation has gone to such an extent that it is not merely that the police or a few officials who can bring the situation under control. I am told, the whole villages are organised for this purpose by the goondas and some other dacoits and their colleagues. I would beg of the hon. Member whose constituency lies in this area to take steps to organise resistance movement in villages. Both officials and non-officials who are concerned about the fair name of Bihar have to take measures in order to put a stop to this

श्री अर नाथ जाबना (दिल्ली सदर) : यह जो एक्स्ट्रा आर्गिनरी सिजुगेशन है, इसको

**Not recorded.

भीट करने के लिये क्या मंत्री महोदय कोई एक्स्ट्रा आर्गिनरी मैशर्ज उठाना चाहते हैं और चाहते है तो वे क्या हैं ? चीफ सेक्रेटरी बिहार को लिखने के अलावा और मीटिंगें करने के अलावा क्या और भी कोई मैशर्ज एडान्ट किए है और किए हैं तो वे कौन से हैं ?

SHRI HANUMANTHAIYA : As I said, I want to take all possible steps in cooperation with the State Government. I am going there. My hon. friend raised the question whether it is possible to change the rules and transfer the responsibility to the Central Government. As my hon. friend knows, it is an amendment of the Constitution that may be required for the purpose. The mere rule modifications will not confer upon the Central Government the powers and responsibility.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) : I wish to make a submission. This is about 4½ lakhs of Andhra Government employees. We gave an Adjournment Motion. All the Central Government projects are held up. This is a very serious matter.

MR. SPEAKER It is a State matter. This is not a matter within the cognisance of the Centre.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : 4½ lakhs of employees are affected for the last 2 months. The Prime Minister should have a dialogue with them.

SHRI B. N. REDDY (Niryalguda) : I come from Andhra Pradesh. The administration has broken down. (Interruptions)

MR. SPEAKER : They are not responsible for the employees of the State. They are not Central Government employees.

SHRI B. N. REDDY : *

MR. SPEAKER : Nothing will go on record. Next item. (Interruptions)*

So many things are being said without my permission. Nothing will go on record.